डॉ0 शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग(चमोली)-246444
Website: www.gpgckaranprayag.com, e-mail- gdc.kpg1979@gmail.com

प्रवेश नियम सत्र 2022–23

(Admission Rules)

1. स्नातक प्रथम वर्ष कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट परीक्षा में 40 प्रतिशत प्राप्तांक निर्धारित किये गये हैं।
2. स्नातक प्रथम वर्ष विज्ञान संकाय में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट परीक्षा में 45 प्रतिशत प्राप्तांक निर्धारित किये गये हैं।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता में नियमानुसार 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
4. प्रत्येक विषय में विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटों पर ही प्रवेश अनुमन्य होंगे।
5. प्रत्येक विषयों के लिए निर्धारित सीटों में अनुसूचित जाति (19 %), अनुसूचित जनजाति (4%), अन्य पिछडा वर्ग (14%), आरक्षण का लाभ उत्तरखण्ड के शासनादेश संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53 (1)/2001 के अनुसार देय होगा। यह लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के लिए ही देय होगा। उक्त सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।नियमानुसार ई0डब्लू0एस0 के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10% सीट पर आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातक स्तर पर06 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 04 वर्ष का संस्थागत अध्ययन–काल अनुमन्य होगा।
7. अनुर्तीण छात्र/छात्राओं को पुनः उसी संकाय /कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
8. जिन छात्र/छात्राओं को अपराध के लिए मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो उन्हें किसी भी कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
9. कश्मीर से विस्थापित प्रवेशार्थीयों को प्रत्येक विषय में नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा। बशर्ते वे सभी अर्हतायें पूर्ण करते हों।
10. उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. इण्टरमीडिएट परीक्षा उर्त्तीण करने के पश्चात् दो वर्ष से अधिक अवधि का अन्तराल होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हताः–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (विज्ञान संकाय) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त वि0वि0 से स्नातक परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उर्त्तीण की हो।
2. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (कला एवं वाणिज्य संकाय) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त वि0वि0 से स्नातक परीक्षा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उर्त्तीण की हो।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवेशार्थियों को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु योग्यता सूचकांकः–

(अ) $(x/X+y/Y) \times 100$

x =प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के सैद्धान्तिक(Theory)के प्राप्तांकों का योग।
X =प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के सैद्धान्तिक(Theory)के पूर्णांक का योग।
y = प्रवेश हेतु चयनित विषयों में स्नातक के प्राप्तांकों का योग।
Y= प्रवेश हेतु में स्नातक के प्राप्तांकों का योग।

प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यताधारक अभ्यर्थियों को वरीयताक्रम के निर्धारण में निम्नानुसार अधिमान अंक देय होंगे।

1. महाविद्यालय से संस्थागत स्नातक उत्तीर्ण प्रवेशार्थी – 05 अंक
2. अन्तर वि0वि0 तथा राज्य स्तर पर आयोजित खेल–कूद प्रतियोगिताओं में वि0वि0 का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रवेशार्थी – 05 अंक
3. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर – 07 अंक
4. वि0वि0स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर – 02 अंक
5. एन0सी0सी0 ''बी प्रमाण–पत्र''– 02 अंक,
6. एन0सी0सी0 ''सी0'' प्रमाण–पत्र–03 अंक,
7. गणतन्त्र दिवस परेड – 05 अंक **(क्रमांक 05 से 07 तक अधिकतम 05 अंक देय होंगे)।**
8. एन0एस0एस0 ''ए''तथा ''बी'' प्रमाण–पत्र या 240 घण्टे+दो विशेष शिविरों के लिए 02 अंक निर्धारित हैं।
9. एन0एस0एस0 ''सी'' प्रमाण–पत्र –03 अंक
10. राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतन्त्र दिवस परेड में प्रतिभाग करने पर –05 अंक**(क्रमांक 08 से 10 तक अधिकतम 05 अंक देय होंगे)।**
11. रेंजर्स तथा रोबर्स के लिए – 05 अंक
12. सेना में कार्यरत सैनिक/अर्धसैनिक बलों के आश्रित– 02 अंक

नोटः–उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत अधिकतम 15 अंक देय होंगे। उक्त अधिमान अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

प्रवेशार्थियों के आवश्यक निर्देश
(Important Instruction for Admission)

1. सभी कक्षाओं में प्रवेश ऑनलाइन मोड में होंगे।
2. प्रवेशार्थी को आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपना ई–मेल तथा मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।
3. आवेदन पत्र महाविद्यालय की बेवसाइटः www.gpgckaranprayag.comपर उपलब्ध है।
4. प्रवेश हेतु समस्त शैक्षिक मूल प्रमाण–पत्रों को स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।
5. वरीयता क्रम में आने वाले प्रवेशार्थी को प्रवेश के समय ऑनलाईन प्रवेश आवेदन पत्र समस्त अपलोड किये गये मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं टी0सी0 तथा सी0सी0 की मूल प्रतियों सहित महाविद्यालय खुलने पर प्रवेश समिति के पास जमा करनी होगी।
6. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम व स्व–हस्ताक्षरित रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य है।
7. यथा समय प्रवेश हेतु वरीयता सूची महाविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध होगी।
8. वरीयता क्रम में आने वाले प्रवेशार्थी दिनांक 31–07–2022 तक प्रवेश शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न करने की दशा में प्रवेश का दावा स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। उपरोक्त तिथि के पश्चात प्रतीक्षा सूची के वरीयताक्रम के आधार पर प्रवेश देय होगा।

उपस्थिति नियम

(Rules for Attendance)

शासनादेश संख्या–528 (1)15(उ0शि0)71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनमुति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में 6 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1.(अ) विद्यार्थी की लम्बी और गंभीर बीमारी के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण–पत्र दाखिल कर दिया हो।

(ब) किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित साक्ष्य देने पर।

2.विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद–सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये साक्षात्कार निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनतम में मार्जन कर दिया जायेगा। बशर्ते कि संबंधित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता है।

नोट–प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी के लिऐ शैक्षणिक सत्र 2022–23 में प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जायेगा बल्कि एन0सी0सी0, राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रतिभाग करने से भी वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किये जायेंगे। साथ ही क्रीड़ा–सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे। कम उपस्थिति रहने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जायेगा। बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम/एम0ए0/एम0एससी0/एम0कॉम पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जायेगी।

अनुशासन एवं शास्ता मण्डल

(Discipline and Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य शास्ता होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु प्रत्येक संकाय से एक–एक शास्ता तथा सहायक शास्ता होते हैं। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक शास्ता मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये बाध्यकारी है। अनुचित आचरण कराने अथवा नियमों का उल्लघन करने पर शास्ता मण्डल संबंधित विद्यार्थी को दंडित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून विरुद्ध कार्य न करें और न ही अशान्ति फैलायें, यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम :

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय–पत्र को होना आवश्यक है जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है, परिचय–पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय–पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।
2. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्ता मण्डल/विश्वविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

3. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जाएगा।
4. दुराचार एवं उदण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

ड्रेसकोड

महाविद्यालय में सत्र 2017–18 से ड्रेसकोड अनिवार्यरूप से लागू किया गया है। अतः समस्त शिक्षार्थियों को प्रतिदिन महाविद्यालय में लागू ड्रेसकोड में उपस्थित होना अनिवार्य है। विना ड्रेसकोड के महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का प्रवेश वर्जित है।

आचार संहिता
समस्त छात्रों पर लागू होने वाली आचार संहिता निम्नवत् है

छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार पर अंकुश–छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा व्यक्तियों के समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियां अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संस्थान अथवा ऐसे संस्थान की किसी इकाई में किसी शिक्षक, कार्यकारी किसी अभिकरण इकाई अथवा अन्य निकाय के सदस्य, शिक्षणेत्तर कर्मचारी अथवा ऐसे किसी संस्थान अथवा इकाई के छात्र, अथवा आधिकारिक नियन्त्रण पर अथवा किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य हेतु परिसर में किसी आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी अथवा कोई अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में विश्वविद्यालय तंत्र के किसी संस्थान अथवा संस्थान की इकाई में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यो, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यो में किसी भी प्रकार से बाधा पहुॅचाना।
3. विशेष निर्णय जिन पर विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में नियन्ता अथवा अन्य संस्थानों के सन्दर्भ में सम्बन्धित संस्थान में अनुशासन निर्वहन हेतु उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय एवं किसी भी संस्थान के परिसर में लाउडस्पीकरों अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
4. विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान, अथवा एक से अधिक संस्थानों या किसी संस्थान की इकाई द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणेत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड 4 में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. विश्वविद्यालय की व्यवस्था के किसी संस्थान या ऐसे संस्थान की इकाई अथवा ऐसे संस्थान व इकाई से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलियां, पंपलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनायें आदि सम्मिलित है का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थो का रखना एवं वितरण।
8. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह मध्य के मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
9. कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।
10. किसी सशस्त्र के रखने प्रदर्शन करने अथवा उससे धमकाने।
11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
12. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।

13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
14. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार युक्त अथवा यौन उत्पीड़न का भान कराने वाला कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
15. मिथ्या कथन अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
16. विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई के नाम के किसी कार्यक्रम की योजना अथवा किसी संचार या प्रतिवेदन में अनाधिकृत प्रयोग अथवा सम्बन्धित संस्थान अथवा इकाई द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत उद्देश्यों से भिन्न मन्तव्यों हेतु प्रयोग।
17. किसी भी रूप में रिश्वत् देने का कोई प्रयास अथवा कोई अन्य भ्रष्ट आचरण।
18. कोई ऐसा कृत्य जो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हों।
19. कोई कृत्य जो निषिद्ध भवनों अथवा क्षेत्रों में अनाधिकृत उपस्थिति अथवा प्रवेश या उल्लंघन सदृश्य हो तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई के भवनों पर कब्जा।
20. ऐसा कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई के कार्यकलापों में किसी वाह्य व्यक्ति अथवा संस्था या प्राधिकारी के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करता हो अथवा उसका आशय रखता हों।
21. अनाधिकृत कोश संग्रह।
22. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई में प्रविष्ट होना।
23. नैतिक अधमता सदृश्य कोई कृत्य।
24. कोई अन्य कृत्य जो विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी इकाई के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हों।
25. खण्ड–2 में पारिभाषित रैगिंग करने सम्बन्धी अथवा उस में लिप्त होने सम्बन्धी कोई कृत्य।
26. छात्रों को परिसर में मोबाईल फोन अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक यंत्र पर संगीत सुनना अथवा कोई दृश्य सामाग्री देखना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

रैगिंग कानूनन अपराध
(Ragging : A Legal Offence)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार रैगिंग एक कानून अपराध है । रैगिंग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है। रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर दण्डात्मक/ विधिक कार्यवाही की जायेगी।

रैगिंग से सम्बन्धित अभिप्राय है,

Any disorderly conduct whether by words spoken of written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, including in rawdy or undisciplined acticvites which causes or is likely to cause embarrassment, hardship or psychological harm or to raise fear of apprehension thereofin a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such students will not in the ordinary course do or perform and which has the effect of causing or generating a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall br deemed to be ragging.

- रैगिंग से सम्बन्धितशिकायतों के निस्तारण एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु महाविद्यालय में एन्टी रैगिंग समिति तथा एन्टी रैगिंग स्क्वाड का गठन किया गया है।

- **दण्ड**

संस्था की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है,

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- कक्षा से निलम्बन।
- छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।
- किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
- निरस्तीकरण।
- संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरानत अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
- रू0 25 हजार का जुर्माना।
- जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाय तब सम्भावित रैगिंगकर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

परिचय पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र

1. प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा परिचय–पत्र निर्गत किया जायेगा। विना परिचय–पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित होगा।परिचय पत्र खो जाने की सूचना मुख्य शास्ता को देनी होगी तथा प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुये निर्धारित शुल्क जमा करवाकर परिचय पत्र की द्वितीय प्रति मुख्य शास्ता से प्राप्त करनी होगी।
2. शास्तामण्डल अथवा किसी भी प्राध्यापक / कर्मचारी द्वारा मांगे जाने पर परिचय पत्र दिखाना होगा।

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्राविधानः

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरान्त जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है। प्रकोष्ठ महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष व्याख्यान भी आयोजित करता है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय द्वारा महिला छात्राओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करता है ।

प्राचार्य
डॉ0शि0न0नौ0 राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय कर्णप्रयाग (चमोली)